मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में औरंगाबाद जिलान्तर्गत एन0 पी0 जी0 सी0 परियोजना के निर्माणार्थ भूमि अर्जन/अधिग्रहण कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक दिनांक–02.08.2012 की कार्यवाही

औरंगाबाद जिलान्तर्गत एन0 पी0 जी0 सी0 परियोजना के निर्माणार्थ भूमि अर्जन/अधिग्रहण कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–08.02.2012 को आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया :–

(1)	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
(2)	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक भू–अर्जन, बिहार, पटना
(3)	आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया
(4)	अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद
(5)	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद।

सर्वप्रथम बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा परियोजना के भूमि अर्जन के प्रगति की समीक्षा की गई तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पदाधिकारी से विचार–विनिमय किया गया। विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है :–

प्रस्ताव संख्या–1 :–एन0 पी0 जी0 सी0 मेन प्लान स्टेज–1 लैण्ड स्टेट्स के संदर्भ में यह ज्ञात हुआ कि कुल–920.21 एकड़ अर्जनाधीन भूमि के अन्तर्गत 623.49 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया, जिसमें 612.73 एकड़ का अवार्ड बन चुका है। उक्त भूमि में 149.43 एकड़ भूमि व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में निष्पादनार्थ भेजा गया है।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि 149.43 एकड़ भूमि से सम्बद्ध रैयतों की पहचान कर व्यवहार न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन, औरंगाबाद अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मामलों के निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद एवं जी0 पी0 से सम्पर्क कर विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे।

प्रस्ताव संख्या–2 :– परियोजना कार्य के लिए तत्काल आवश्यक 57.29 एकड़ भूमि की विवरणी एन0 पी0 जी0 सी0 से प्राप्त कर भूमि की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर मुआवजा भुगतान करना जिला प्रशासन के स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रस्ताव संख्या–3 :– गैरमजरूआ खास भूमि के संदर्भ में कुल अर्जनाधीन रकवा–299.88 एकड़ पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 200.14 एकड़ भूमि रैयती घोषित हो चुकी है, मात्र 99.74 एकड़ भूमि निर्णयाधीन है। निर्णयाधीन भूमि को पन्द्रह दिनों के अन्दर सुनवाई करते हुए आवेदन पत्र का निष्पादन जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाएगा। रैयती घोषित होने पर 1½ माह से 2 माह के अन्दर 4/6 एवं 7/17 की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव संख्या–4 :– 200.14 एकड़ अर्जित भूमि, जो रैयती पाया गया है, की मुआवजा भुगतान की कार्रवाई एक माह के अन्दर पूरा करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0/–
(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव

D:\Rakesh\2012\Bhu arjan\Aug\Noting\Notin.02.08.12.doc

ज्ञापांकः—14 / डी0 एल0 ए0 (एन0 पी0 जी0 सी0)—बैठक—औरंगाबाद—91 / 12— पटना, दिनांक—..... / ..8.. / 2012

प्रतिलिपिः— आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया / जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— श्री0 डी0 चक्रवर्ती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन0पी0जी0सी0, विद्युत भवन—2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव, रा0एवं भूमि सु0 विभाग
—सह—
निदेशक, भू—अर्जन।

ज्ञापांकः—14 / डी0 एल0 ए0 (एन0 पी0 जी0 सी0)—बैठक—औरंगाबाद—91 / 12— 1708 पटना, दिनांक—..2.. / ..8.. / 2012

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त बिहार पटना / प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव, रा0एवं भूमि सु0 विभाग
—सह—
निदेशक, भू—अर्जन।

ज्ञापांकः—14 / डी0 एल0 ए0 (एन0 पी0 जी0 सी0)—बैठक—औरंगाबाद—91 / 12— 1708 पटना, दिनांक—..2.. / ..8.. / 2012

प्रतिलिपिः— सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—[redacted], बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव, रा0एवं भूमि सु0 विभाग
—सह—
निदेशक, भू—अर्जन।

ज्ञापांकः—14 / डी0 एल0 ए0 (एन0 पी0 जी0 सी0)—बैठक—औरंगाबाद—91 / 12— 1708 पटना, दिनांक—..2.. / ..8.. / 2012

प्रतिलिपिः— माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव, रा0एवं भूमि सु0 विभाग
—सह—
निदेशक, भू—अर्जन।

ज्ञापांकः—14 / डी0 एल0 ए0 (एन0 पी0 जी0 सी0)—बैठक—औरंगाबाद—91 / 12— 1708 पटना, दिनांक—..2.. / ..8.. / 2012

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव, रा0एवं भूमि सु0 विभाग
—सह—
निदेशक, भू—अर्जन।